संख्या-134/2015/आर-3961/26-3-2015-743(अव)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 10 नवम्बर, 2015

विषयः- रिट याचिका संख्या-5315(एम.बी.)/2004 आनन्द कुमार अग्रवाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा अवमाननावाद संख्या-13(सी)/2015 आनन्द कुमार अग्रवाल बनाम के0राम मोहन राव, तत्कालीन सचिव,समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक-25-04-2014/26-10-2015 के अनुपालन में समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित सरस्वती छात्रावास, पीलीकोठी ऐशबाग, लखनऊ के किराया के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष के सुसंगत मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-651-55/स0क0/शिक्षा-ब/2015-16 दिनांक 14-09-2015 एवं पत्रांक-753/स.क./शिक्षा-ब/2015-16, दिनांक-28-10-2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-25-04-2014 एवं 26-10-2015 के अनुपालन में समाज कल्याण द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित सरस्वती छात्रावास, पीलीकोठी ऐशबाग, लखनऊ का दिनांक-01 अप्रैल, 1992 से दिनांक-31 मार्च 2015 तक निर्धारित किया गया किराया रूपया-31,44,330/- (रूपया इक्कतीस लाख चैवालिस हजार तीन सौ तीस मात्र) को भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष लेखाशीर्षक "2225-01-277-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" में प्राविधानित धनराशि रूपया-120.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि रूपया-60.00 लाख (रूपये साठ लाख मात्र) को अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइन्सेसियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा एवं स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(2) विभागाध्यक्ष एवं अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का तत्काल आहरण, आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजना पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित समीक्षा की जाय तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण वित्तीय वर्ष के अंत में सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- उपरोक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-आयोजनेतर-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार-(जिला योजना)-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0स0-134/2015/आर-3961/26-3-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2-कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3-वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4-निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ
5-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in